न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
104 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	31.12.2020	08.04.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल प्रोविजन स्टोर आजाद मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स अग्रवाल प्रोविजन स्टोर आजाद मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री सुरेश पारीक पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश पारीक प्रोपरायटर मैसर्स मीनाक्षी मार्केटिंग, शॉप नं. 8 राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास जोधपुर राज. निवासी 403, सुनारों की घाटी सर्राफा बाजार जोधपुर राज.
4– मैसर्स मीनाक्षी मार्केटिंग, शॉप नं. 8 राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास जोधपुर राज.
5–श्री लेखराज भूत पुत्र श्री चिमनी राम भूत प्रोपरायटर मैसर्स लेखराज चिमनीराम जाटियों का वास, खत्रियों का निचला बास बाडमेर राज. निवासी जाटियो का वास, खत्रियो का निचला बास बाडमेर राज.
6- प्रबधक मैसर्स लेखराज चिमनीराम जाटियों का वास, खत्रियों का निचला बास बाडमेर राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–:

दिनांक 08.04.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2020 को समय 2.19 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अग्रवाल प्रोविजन स्टोर आजाद मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल प्रोविजन स्टोर आजाद मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1195

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) जिसके बैच न. बी–106 एंव पैकिंग की दिनांक जून 2020 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विकता श्री हुकुम चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हुकुम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 140–140 ग्राम के 112 पैकेट **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) रखे हुये मे से 16 पैकेट प्रत्येक 140–140 ग्राम के कुल 2240 ग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकता, श्री हुकुम चन्द जैन को रु0 1600/–अक्षरे एक हजार छःसौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) 140–140 ग्राम के 16 पैकेट ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर 4–4 पैकेट के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2572 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2572 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता, हुकुम चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री हुकुम चन्द जैन ने मौके पर **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) बतौर वारन्टी मैसर्स मीनाक्षी मार्केटिंग, शॉप नं. 8 राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास जोधपुर राज.का बिल/इन्वॉइस नं. 792 दिनांक 01.07.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स मीनाक्षी मार्केटिंग, शॉप नं. 8 राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास जोधपुर राज.से पत्राचार करने पर बतौर वारन्टी प्रबंधक मैसर्स लेखराज चिमनीराम जाटियों का वास, खत्रियों का निचला वास बाडमेर राज. का बिल/इन्वॉइस नं. की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1196

Scanned by CamScanner

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3176 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1169/एक्ट/2020/1260 दिनांक 27.08.2020 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 अनुसार हुकुम चन्द जैन से बारते नमूना जांच विक्रय किया गया **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zz) (v) के अनुसार **असुरक्षित** (Un-safe) व एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i) (zf) (c) (i)के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व विनियम 2.3.1. के कारण **कान्ट्रावेन** (Contravene)तथा एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1) (zx)के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 स्वंय तथा 1 व 2 तथा 5 व 6 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोसेस्ड सुपारी मीनाक्षी डॉलर पॉली पैक** (Betul Nut Processed Minaxi Dollar Poly Pack) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी ... प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जैन ... प्रो. मैसर्स अग्रवाल प्रोविजन स्टोर आजाद मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी आजाद ... मालपुरा जिला टोंक राज0 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

1197

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री सुरेश पारीक पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश पारीक प्रोपरायटर मैसर्स मीनाक्षी मार्केटिंग, शॉप नं. 8 राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास जोधपुर राज. निवासी 403, सुनारों की घाटी सर्राफा बाजार जोधपुर राज. पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री लेखराज गुप्ता पुत्र श्री चिमनी राम गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स लेखराज चिमनीराम जाटियों का वास, खत्रियों का निचला वास बाड़मेर राज. निवासी जाटियों का वास, खत्रियों का निचला वास बाड़मेर राज.पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.04.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner